

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवार्यें, राजस्थान, जयपुर।
कमांक : ई/चिअ/अनुबन्ध/2011/ दिनांक :

—: परिपत्र :-

प्रायः देखा गया है कि निदेशालय के अधीन विभिन्न जिलों में पदस्थापित अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु समय-समय पर आवेदन करने की विभागीय अनुमति चाहे जाने के प्रकरण सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा निदेशालय को अग्रेषित किये जाते हैं, के क्रम में सूचित किया जाता है कि अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारियों पर सेवा नियमों का प्रतिबन्ध नहीं है। अतः विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने को कोई औचित्य नहीं है वे जब चाहे सेवा से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार त्याग-पत्र देकर अन्यत्र जा सकते हैं। भविष्य में ऐसे प्रकरण निदेशालय को अग्रेषित नहीं किये जावें।

इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर

कमांक : ई/चिअ/अनुबन्ध/2011/ 575

दिनांक : 01/7/11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, जोन-राजस्थान।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. डॉ. संदीप कुमार सरावगी, अनुबन्ध चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी। ~~अनुबन्ध~~ ~~अधिकारी~~ ~~द्वारा~~ ~~उनके~~ ~~प्रशासनिक~~ ~~अधिकारी~~। ~~अनुबन्ध~~ ~~अधिकारी~~ ~~द्वारा~~ ~~उनके~~ ~~प्रशासनिक~~ ~~अधिकारी~~।
5. निजी/रक्षित पत्रावली।
6. डी.डी. प्रुति. राज. 5. 8

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर